

संसदीय कार्य मंत्रालय

मांग संख्या 62

संसदीय कार्य मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

| मुख्य शीर्ष | बजट 2001-2002 | | | संशोधित 2001-2002 | | | बजट 2002-2003 | | | |
|--------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | |
| राजस्व | ... | 4.64 | 4.64 | ... | 4.17 | 4.17 | ... | 4.21 | 4.21 | |
| पूंजी | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| जोड़ | ... | 4.64 | 4.64 | ... | 4.17 | 4.17 | ... | 4.21 | 4.21 | |
| 1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं | 2052 | ... | 4.64 | 4.64 | ... | 4.17 | 4.17 | ... | 4.21 | 4.21 |
| कुल जोड़ | ... | ... | 4.64 | 4.64 | ... | 4.17 | 4.17 | ... | 4.21 | 4.21 |

इसमें सचिवालय व्यय तथा पारस्परिक आधार पर विदेश जाने वाले सांसदों के शिष्टमंडल तथा भारत आने वाले विदेशी शिष्टमंडलों पर होने वाले व्यय हेतु प्रावधान शामिल है।